

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22-4.4/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के अधीन साहेबगंज जिलान्तर्गत Anti Erosion work in Gumani river near chain no.-252 of Dariyapur Distributory in Village-Budhudih for the protection of cultivable land and Dariyapur Distributory Canal कार्य हेतु रु० 143.55 लाख (रु० एक करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के अधीन साहेबगंज जिलान्तर्गत Anti Erosion work in Gumani river near chain no.-252 of Dariyapur Distributory in Village-Budhudih for the protection of cultivable land and Dariyapur Distributory Canal कार्य हेतु रु० 143.55 लाख (रु० एक करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।
3. योजना अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
 - (i) चार अदद Studs निर्माण का कार्य।
4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रारंभ कर वर्ष 2022-23 में पूर्ण कराया जायेगा।
5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

मांग सं०-49-S, मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष - 05 निर्माण, 45 -निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।
6. वर्ष 2021-22 हेतु बजट शीर्ष 49-S-4711-01-796-58-00-05-45 अन्तर्गत पुनरीक्षित बजट उपबंध रु० 2540.00 लाख मात्र है।
7. प्रस्तावित कार्य सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट होंगे एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार, साहेबगंज से किया जायेगा।
9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
10. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22 4.64/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना एवं विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22 4.64/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22 4.64/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०-1, बरहेट/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22 4.64/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- आयुक्त, संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/विविध/874/2019-57/21-22 4.64/राँची, दिनांक 03.03.2022

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव